

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. 2023/86  
मुकदमा नम्बर 28/2023

दायर दिनांक-20.03.2023

परमेश्वरलाल पुत्र समदर जाति माली निवासी सैनीपुरा तन डुण्डलोद, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू  
वादी

बनाम

1. किशोर पुत्र समदर
2. महेन्द्र पुत्र समदर
3. रामचन्द्र पुत्र समदर
4. अभिषेक पुत्र गोकुलचन्द
5. पिकी सैनी पुत्री गोकुलचन्द
6. मीना पुत्री गोकुलचन्द
7. सरिता देवी पत्नी गोकुलचन्द जाति माली निवासीगण सैनीपुरा तन डुण्डलोद, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
8. सिवायचक नाकाविल काश्त जरिये तहसीलदार नवलगढ़
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड हॉल्डर तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनू

प्रतिवादी

दावा -घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधज्ञा

प्रतिनिधित्व:-

वकील वादी- श्री दयाराम सैनी  
वकील प्रतिवादी 1 लगा. 7- एक पक्षीय  
प्रतिवादी सं. 8 व 9 - पेरों. राज.

-:निर्णय:-

निर्णय दिनांक 29.07.2024

वाद वादी दिनांक 18/04/2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./24/1829 दिनांक 27/05/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नकशा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर का संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(जय सिंह) R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़  
जिला- झुझुनू

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवाणा )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
श्री जयसिंह ( आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2023/86  
मुकदमा नम्बर 28/2023

दायर दिनांक-20.03.2023

(परमेश्वरलाल बनाम किशोर वगै.)

दावा -घोषणार्थ,विभाजन एवं स्थाई निषेधज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जयसिंह ( आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी, वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

वाद वादी दिनांक 18/04/2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिकी किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी मे कब्जे काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भूअ./24/1829 दिनांक 27/05/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव नय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन.....-..... मुबलिग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-.....  
.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....-.....का अदा करे।  
बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 29 माह 07 सन 2024 को जारी की गई।

|                      | रूपया पैसे | मुद्दासलह            | रूपये पैसे |
|----------------------|------------|----------------------|------------|
| मुद्दई               |            |                      |            |
| स्टाम्प अर्जी दावा   | 2.00       | स्टाम्प अर्जी दावा   | 0.00       |
| वकालतनामा स्टाम्प    | 1.00       | स्टाम्प वकालतनामा    | 0.00       |
| स्टाम्प वजह सबूत     | -          | स्टाम्प अर्जी        | -          |
| महनताना वकील         | -          | महनताना वकील         | -          |
| खर्चा गवाहान         | -          | खर्चा गवाहान         | -          |
| फीस कमिशनर           | -          | फीस कमिशनर           | -          |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | -          | बाबत इजराय हुक्मनामा | -          |
| मुताफरिक मिजान       | 1.00       | मुताफरिक मिजान       | 0.00       |

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ